

\*प्रेस नोट\*

\*थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा चोरी के बिजली तार के साथ एक अभियुक्त हरिशंकर गौड़ गिरफ्तार\*

आज दिनांक 19.12.2020 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में ककरमत्ता पुल पर मौजूद थी की एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में कुछ सामान लिए मण्डुवाडीह स्टेशन की ओर जाता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को मण्डुवाडीह रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म के निकट पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हरिशंकर गौड़ पुत्र कालीदास निवासी झऊआ पिलकिनि थाना औराई जनपद भदोही उम्र वर्ष बताया तथा भागने का कारण पूछा तो बताया कि मेरे पास चोरी 25 का काटा हुआ तार है। जामा तलाशी से प्लास्टिक की बोरी में रखा हुआ लाल, पीले, नीले, काले रंग का कटा हुआ तार कापर का व एक अदद कटर प्लास बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो बताया कि यह तार मैने बीती रात नव निर्मित बिल्डिंग विराट एमसे चोरी किया था 0एस0। उक्त व्यक्ति को समय 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. हरिशंकर गौड़ पुत्र कालीदास निवासी झऊआ पिलकिनि थाना औराई जनपद भदोही उम्र 25 वर्ष

\*मुकदमें का विवरण:-\*

- मु0सं0अ0-356/2020 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी

\*बरामदगी का विवरण\* -

- एक प्लास्टिक बोरी में रखा चोरी का बिजली का तार वजन कुल 6. 840कि0ग्रा0(जिसकी किमत लगभग 25000/- है)।

\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-\*

➤ प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र राम प्रजापति, उ वसीम अहमद 0नि0 मय हमराही काकुलदीप 0 मोहन कुमार 0कुशवाहा व का थाना मण्डुआडीह जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.12.2020 को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा चेंकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों एवं वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 515/2020 से संबंधित अभियुक्त अजय सिंह पुत्र शिवनारायण को मण्डुवाडीह तिराहा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1 - अजय सिंह पुत्र शिवनारायण नि0 नाथूपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष

\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\*

- मु0अ0सं0 515/20 धारा 354क,354ग,386, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 67 आई0टी0 एक्ट थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:\*-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, व0उ0नि0 जमीलुद्दीन खान, का0 विश्वजीत पाण्डेय, का0 विजय शंकर पाल थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.12.2020 को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा चेंकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों एवं वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/2020 से संबंधित अभियुक्त सिद्धार्थ कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह को ग्राम सुन्दरपुर से समय 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1 - सिद्धार्थ कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी म0नं0 एन-2/142ए सुन्दरपुर थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\*

- मु0अ0सं0 0408/2020 धारा 376(2)(i),376(2)(n),506 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट व 3(1)ध,3(2)(VA) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:\*-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 उमेश चन्द विश्वकर्मा, का0 अखिलानन्द थाना रोहनियां जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 75/2020 दिनांक: दिसम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 58 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 1768 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 443 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 68 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 370 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 45 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 76/2020 दिनांक: दिसम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 19-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*02 व्यक्तियों

के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 124 व्यक्तियों से रु0-1100 जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 962 वाहनों का चालान, 05 वाहनों को सीज तथा 80 वाहनों से रु0-69,200/-समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvns-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 77/2020 दिनांक: दिसम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

थाना कैण्ट वाराणसी में नियुक्त मुख्य आरक्षी विनोद सिंह जनपद चन्दौली के थाना अलीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-193/2020 धारा-498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में गिरफ्तार होकर कारागार वाराणसी में निरुद्ध है। अपने कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने तथा पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने आदि आरोप में आज दिनांक 19-12-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा मुख्य आरक्षी विनोद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।